प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **02-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- थाना भगतपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने के आरोपी को किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराधो में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना भगतपुर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिगं कर रही थी तभी ग्राम मंगावाला की ओर जाने रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया तो अचानक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा व आवश्यक कार्यवाही करते हुये संदिग्ध व्यक्ति **अजीम पुत्र वहीद निवासी ग्राम दौलपुरी बमनिया थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध एक तमन्चा मय एक कारतूस नाल में फसा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में थाना भगतपुर पर अभियुक्त अजीम उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-136/2025 धारा- 3/25 आर्म एक्ट व धारा 109,3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 136/2025 धारा- 3/25 आर्म एक्ट व धारा 109,3(5) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्तः-

अजीम पुत्र वहीद निवासी ग्राम दौलपुरी बमनिया थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

अवैध एक तमन्चा मय एक कारतूस नाल में फसा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 ब्रजकिशोर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
2-हे0कां0 चन्द्रप्रकाश थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
3-हे0कां0 अनुज सिरोही थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद
4-कां0 सत्यवीर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

2-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 24 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 24 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मुगलपुरा-02, थाना सिविल लाईन्स-02, थाना पाकबड़ा-04, थाना डिलारी-03, थाना मूढ़ापाण्डें-01, थाना छजलैट-01, थाना बिलारी-07, थाना कांठ-01 थाना भगतपुर-01, थाना मैनाठेर-02,

3-थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा, थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत एक खेत में लड़की का शव मिलने की घटना का अनावरण कर हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से आलाकत्ल एक पेंचकस बरामद किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.06.2025 को थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मिलक मैनाठेर में एक मक्के के खेत में एक लड़की का मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना मैनाठेर पुलिस मौके पर पहुँची।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर, घटना का शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में मृतका की माता वादिनी निवासी ग्राम मिलक मैनाठेर थाना मैनाठेर की तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-110/2025 धारा- 103(1)/351(3) बीएनएस बनाम मौ0 रफी पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व एवं पर्येवेक्षण में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.06.2025 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा अभियुक्त मौ0 रफी उर्फ आरिफ पुत्र तौफीक निवासी ग्राम मिलक मैनाठेर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल एक पेंचकस, मृतका का एक 01 कीपैड मोबाईल, 01 अभियुक्त का मोबाईल बरामद किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मौ0 रफी उर्फ आरिफ पुत्र तौफीक निवासी ग्राम मिलक मैनाठेर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस

बरामदगी का विवरणः-

1-मृतका का एक मोबाईल फोन सैमसंग छोटा किपेड

2-अभियुक्त का एक मोबाईल

3-घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक पेंचकस

पूछताछ विवरण–

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वह मृतका को पहले से ही जानता था, आपस में फोन पर बातचीत करते थे, दिनांक 31/05/2025 को मृतका ने अभियुक्त को फोन करके मिलने बुलाया था। जब अभियुक्त शाम को मृतका से मिलने पहुंचा तो मृतका मक्का के खेत में घास काट रही थी तथा किसी बात को लेकर मृतका द्वारा अभियुक्त को भला-बुरा कहा गया तभी गुस्से में आकर अभियुक्त मौ0 रफी द्वारा मृतका के गले में पड़ी चुन्नी (दुपट्टा) से उसका गला दबा दिया जिससे वह बेहोस सी हो गयी और लोहे के पेंचकस से उसके शरीर पर कई वार किये तथा उसको वहीं छोड़कर भाग गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मैनाठेर-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री किरनपाल सिंह
2-उ0नि0 मनोज पंवार
3-उ0नि0 जगमाल सिंह
4-उ0नि0 प्रशान्त कुमार
5-हे0का0 दीनदयाल
6-का0 लवकुश

4-परिवार परामर्श केन्द्र/नारी उत्थान केंद्र मुरादाबाद के अथक प्रयासों से पति-पत्नी के 02 विवादित जोड़े आपसी कलह भुलाकर साथ रहने को हुए सहमत।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय के पर्यवेक्षण में प्रभारी नारी उत्थान केन्द्र की अध्यक्षता तथा अनुभवी परामर्श दाता श्री एम.पी.सिह के माध्यम से परिवार परामर्श केन्द्र / नारी उत्थान केन्द्र, पुलिस लाईन मुरादाबाद में दिनांक 02-06-2025 को पति-पत्नी सम्बन्धित पारिवारिक विवादों की काउंसलिंग के दौरान 02 प्रार्थना पत्रों में दोनो पक्षों की सहमति से सुलह समझौता कराया गया। प्रार्थना पत्रों में दोनों पक्षों की पारिवारिक समस्याओं को सुनते हुए आपसी सहमति से समझौता कराया गया। दोनों पक्षों द्वारा आपस में एक-दूसरे को विश्वास दिलाया गया कि हम दोनों नवजीवन की नई शुरूआत करते हुए हसी-खुशी अपना जीवन यापन करेगें। परिवार परामर्श द्वारा जोडों को नवजीवन की शुरूआत की शुभकामनायें देते हुए समझाया गया कि बीती बातों को लेकर विवाद नही करेंगे और आपस में प्यार से रहेगें।